न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 13/2014

उनवान

1. श्री पर्वतसिंह पिता स्व. दुलेसिंह चुण्डावत राजपुत उम्र बालिग।
2. श्रीमती हंसकुँवर पति स्व. भोपालसिंह जी चुण्डावत राजपुत उम्र बालिग।
3. श्री रामसिंह पिता स्व. भोपालसिंहजी चुण्डावत राजपुत उम्र बालिग।
4. श्री सुरेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह जी चुण्डावत राजपुत उम्र बालिग।
5. श्री पन्ना पिता वगता मीणा उम्र बालिग।
6. श्री देवा पिता वगता मीणा उम्र बालिग।

सभी निवासी पायरा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

— प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान् भूमीधारी तहसीलदार साहब सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

—::निर्णय::—

दिनांकः—02.04.2024

उपस्थितिः— श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता—प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा—151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी नं. 1 एक से 4 चार तक एक ही परिवार के हैं जिनके खाते की भूमी हाल आ.न. 1894 रकबा 1.51 हेक्टेयर एवं हाल आ.न. 4194/1894 रकबा 0.44 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.95 हेक्टेयर एक चक के रूप में मौके पर स्थित हैं एवं उक्त भूमि साबिक आ.न. 1284 मीन से बनी हुई हैं जिसमें मेवाड राज्य की पैमाईश में कोई रास्ता नही था एवं न ही नक्शा शीट में अंकित था। प्रार्थी नं. 1 एक से 4 चार तक के खाते की भूमि के सटमा दक्षिण दिशा में प्रार्थी नं. 5 एवं 6 के स्वर्गीय पिता वगता पिता पुना मीणा का भी करीब 11 बीघा भूमि राज से 2 दो बार एलोट हुई थी ।

कि विपक्षी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध मौजा पायरा पटवार हल्का कल्याणाकला की हाल आ.नं. 1787 रकबा 1.08 हैक्टेयर रास्ता मेवाड राज्य के समय अथवा जब साबिक आ.नं. 1284/6 मीन रकबा 7 सात बीघा स्वर्गीय भोपालसिंह एवं पर्बतसिंह पिता दुलेसिंह जी को एलोट हुई तब एवं आ.नं. 4194/1894 रकबा 0.44 हैक्टेयर जो भी साबिक आ.नं. 1284 मीन का भाग हैं जो प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह को एलोट हुई एवं साबिक आ.नं. 1284 मीन रकबा 6 बीघा एवं बाद में इसी साबिक आ.नं. 1284 में से 5 बीघा कुल 11 ग्यारह बीघा भूमि स्वर्गीय वगता

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पिता पुंजा मीणा को एलोट की जिसका वारिश उनका बेटा श्री पन्ना, श्री देवा प्रार्थीगण काबिज हैं इन दोनो चको के मध्य आज तक कभी रास्ता नही था रास्ता सिर्फ साबिक आ. नं. 558 के पूर्व तरफ व साबिक आ.नं. 586 के पश्चित तक था उक्त तथाकथित रास्ता साबिक आ.नं. 1284 से बने एवं खाते के हाल आ.नं. 4194 / 1895 के दक्षिण में एवं आ.नं. 1294 के पश्चिम दिशा में अमीनो ने गैर कानूनी तौर से नक्शा शीट में अस्थाई व अथवा स्थाई रास्ता डोट–डोट से दर्शा दिया हैं जहा पर आज तक कभी रास्ता नही था फिर भी उक्त तथाकथित रास्ते पर प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण करना व रास्ता रोकना पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 रा.ले.रे.एक्ट में कार्यवाही प्रारम्भ की जिसके मु.नं. 1 / 13 ना.कब्जा कायम कर प्रार्थीगण को तलब किया प्रार्थीगण ने जवाब पेश किया एवं बिना साबिक नक्शे को देखे हाल नक्शे को सही मानकर प्रार्थीगण को बेदखल करने व हजारो रूपया किमत का कोट गिराकर रास्ता खोलने की तहसीलदार साहब ने धमकी दी इस पर प्रार्थीगण ने विपक्षी तहसीलदार साहब सलूम्बर व श्रीमान् जिला कलेक्टर को धारा 80 जा.दि. का 2 दो माह की अवधी का रजि. नोटिस तारीख 14–10–2013 को देना पडा एवं 2 दो माह की अवधि समाप्त होने के बाद हाल नक्शा शटी में गलत हाल पैमाईश में रास्ता दर्शाया उसे राज. ने नही हटाया इसलिये प्रार्थीगण को मजबूर होकर राजस्थान सरकार एवं भूमीधारी विपक्षी पर उक्त वाद पेश करना पडा, परन्तु अभी हाल विपक्षी तारीख 20–02–2014 को पटवारी हल्का व आर.आई. को लेकर मौके पर प्रार्थीगण की भूमी पर बना कोट ध्वस्त कर व खेतो में गेहूँ की खडी फसल नष्ट करने आये, प्रार्थी नं. 1 एक सेवानिवृत रेन्जर हैं उसने अपने सिबूत विपक्षी व उनके अधिन कर्मचारियो को बतलाए, परन्तु उन्हे देखने के बाद विपक्षीगण के कर्मचारियो ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन हैं उस न्यायालय से स्थगन आदेश लाने प्रार्थीगण को तारीख 23–02–2014 तक का समय दिया हैं इसलिये यदि तारीख 23–02–2014 तक अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् ने जारी नही की गई तो प्रार्थीगण की पुरी फसल एवं कोट को विपक्षी गिराने से एवं खेत में से नया रास्ता बनाने से प्रार्थीगण को जो क्षति होगी उसकी पूर्ति रूपयो पैसो में नही हो पावेगी । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला हैं एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना हैं कि असल वाद के निर्णय तक मौझा पायरा पटवार हल्का कल्याणाकंला की आ.न. 1787 रकबा 1.08 हेक्टर रास्ता प्रार्थीगण के खाते की हाल आ.न. 1894 के पश्चिमी सीमा के अन्दर व हाल आ.न. 4194 / 1894 के दक्षिण में किसी प्रकार की तोड–फोड कर व कोट को गिराकर नया रास्ता कायम नही करे एवं इसी प्रकार हाल आ.न. 1760, 1765, 1766 के उत्तर दिशा में किसी प्रकार का रास्ता बनावे एवं न ही उक्त कृत्य अपने अधिनस्थ कर्मचारियो, नोकरो, मजदुरो से करावें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर हाजिर आये। जिन्होने आदेशिका दिनांक 25–03–2015 को रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि ग्राम पायरा में श्री सुरेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह चुण्डावत के नाम आ.नं. 4194 / 1894 रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजी मे से होकर डोटेड रास्ता दर्शाया गया है जिसके आराजी नम्बर 1787 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म रास्ता है। मौके पर खातेदार द्वारा पत्थरो का कोट कर कब्जा किया गया है। मौके पर दोनो और के खातेदारो द्वारा कब्जा कर रखा है जिससे रास्ते के निशानात नही है। उक्त रास्ता बाधित होने से आराजी नम्बर 1769, 1741 से 1745 तक के खातेदार की आवाजाही रूकी हुई है।

पत्रावली पर उभयपक्षकारन की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कीये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर ने बहस मे

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अपनी मौका रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया की आराजी नम्बर 1787 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म रास्ता बाधित होने से आराजी नम्बर 1769, 1741 से 1745 तक के खातेदार की आवाजाही रूकी हुई है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हाल राजस्व रेकार्ड मे आराजी नम्बर 1787 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म रास्ता होकर नक्शा शीट मे दर्ज है। प्रकरण मे प्राप्त रिपोर्ट से जाहिर है रास्ता बाधित होने से आराजी नम्बर 1769, 1741 से 1745 तक के खातेदार की आवाजाही रूकी हुई है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे उचित प्रतीत नही होते है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कीया जाना न्यायहित मे न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 02–04–2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर, सलूम्बर
जिला सलूम्बर